राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 202/2009/धौलपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त–धौलपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

श्री रामवीर सिंह पुत्र श्री गिरीराज जरिये
मै0 कैलादेवी ट्रेडिंग कम्पनी, खैरागढ़ .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी. ओझा,
उप राजकीय अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से

अनुपस्थित .....प्रत्यर्थी

निर्णय दिनांक : 22/12/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 136/RVAT/NRD/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 06.05.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, धौलपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2007 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत कायम शास्ति राशि रूपये 2,10,380/– एवं कर रूपये 28,051/– कुल मांग राशि रूपये 2,38,431/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी, धौलपुर द्वारा दिनांक 20.11.2007 को वाहन संख्या UP-80/9895 को पुलिस चौकी बसई नवाब पर चैक किया गया। वाहन चालक माल प्रभारी से वाहन में लदे माल से संबंधित दस्तावेजों की मांग की गई, जिसके द्वारा कोई दस्तावेज नहीं होना जाहिर किया एवं परिवहनित माल सोया तेल खैरागढ़ से भरना बताया गया व दस्तावेज मुनीम बिहारी के पास होना बताया। मुनीम बिहारी से दस्तावेजों के बाबत जानकारी करने पर उसके द्वारा भी कोई जानकारी नहीं दी गई। इस प्रकार उक्त वाहन में लदा माल बिना चैक पोस्ट पर इन्द्राज करवाये, बिना दस्तावेजों के परिवहनित किया जा रहा था। इस कारण से करापवंचन की नियत से राज्य से तेल भरकर परिवहनित किया जाना प्रतीत होने के कारण वास्ते स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में वाहन चालक/माल प्रभारी श्री रामवीर सिंह द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया एवं साथ ही परिवहनित माल से संबंधित बिल व बिल्टी आदि प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात श्री राकेश कुमार मालिक मैसर्स कैला देवी ट्रेडिंग कंपनी खैरागढ़ उत्तरप्रदेश द्वारा प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए विस्तृत कारण बताओ नोटिस व्यवसाई मैसर्स कैला देवी ट्रेडिंग कंपनी को जारी किया गया।

लगातार.....2

जारी नोटिस की पालना में व्यवसाई द्वारा लिखित जवाब एवं उसके साथ क्लीनर राधे का शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजात भी प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजों से असहमत होते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त वाहन से बिना दस्तावेजों से असहमत होते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त वाहन से बिना दस्तावेजों के कर चोरी की नियत से माल परिवहनित करने का दोषी मानते हुए परिवहनित माल कीमतन रूपये 7,01,266/– पर 4 प्रतिशत की दर से बिक्री कर रूपये 28,051/– चूंकि व्यवसाई राज्य में पंजीकृत नहीं है, तथा मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 2,10,380/– आरोपित करते हुए कुल मांग राशि रूपये 2,38,431/– कायम की गई है। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर आरोपित मांग राशियों को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस सुनी गई। अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सशक्त अधिकारी द्वारा हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों की बिना गहन जांच किये मिथ्या एवं बोगस माना है व बिना किसी आधार के प्रत्यर्थी व्यवहारी को करापवंचन का दोषी मनोभाव माना है जबकि दस्तावेजों में माल प्रेषक व प्रेषिति के पूर्ण नाम व पते तथा पंजीयन क्रमांक मौजूद थे, उसके बावजूद भी उनकी कोई जांच नहीं की गई है एवं बिना किसी उचित आधार के वाहन चालक श्री रामवीर सिंह को माल का मालिक मानते हुए कर आरोपण की कार्यवाही की गई है, जो कि उपरोक्तानुसार अविधिक है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर परिवहनित माल राज्य के बाहर खेरागढ़ से राज्य बाहर आगरा के लिए होने एवं वांछित दस्तावेजों से समर्थित होने के कारण प्रत्यर्थी पर राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 76(6) के तहत् आरोपित शास्ति अविधिक होने से अपास्त किया जाने योग्य है, चूंकि उक्त प्रकरण में सशक्त अधिकारी द्वारा राजस्व हानि प्रमाणित नहीं की गई है, इस कारण आरोपित कर भी अविधिक होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

उपर्युक्त विवेचन के अनुसार विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

आदेश प्रसारित गया।

(नत्थूराम)
सदस्य